मानसिक मंदता के लिए हस्तक्षेप से जुड़े व्यावसायिक

NIEPMD में उपलब्ध सेवाएँ

- प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएँ
- प्रारंभिक बाल्यावस्था विशेष शिक्षा
- विशेष विद्यालय
- व्यावसायिक प्रशिक्षण
- चिकित्सीय प्रबंधन
- पुनर्वास मनोविज्ञान
- मेडिकल सेवाएँ

अधिक जानकारी के लिए देखें

www.nimhindia.org

www.nationltrust.org

www.disabilityindia.org/trustact

ऐसा संस्थान जो विविध निःशक्त व्यक्तियों की ज़रूरतें पूरी करता है

NIEPMD की स्थापना विविध निःशक्त व्यक्तियों (ऐसे व्यक्ति जो दो या अधिक निःशक्ताओं से ग्रस्त हैं) को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के तौर पर काम करने के उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु निःशक्त कार्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई है। यह ईस्ट कोस्ट रोड, मुत्तुक्काडु, कोवलम पोस्ट, चेन्नई, तमिलनाडू (चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल और एयरपोर्ट से करीब 30 कि.मी. की दूरी पर) पर स्थित है ।

मानसिक मंदता

(Mental Retardation)

राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान
(निःशक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities
(Department of Disabilities Affairs, Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India)

ईस्ट कोस्ट रोड, मुत्तुक्काडु, कोवलम (पोस्ट ऑफिस),
चेन्नई - 603112, तमिलनाडु
फोन: 044-27472113, 27472046
फैक्स: 044-27472389
वेबसाइट: www.niepmd.tn.nic.in ई-मेल: niepmd@gmail.com
कार्य अवधि : सोमवार से शुक्रवार
(सुबह 9.00 से शाम 5.30 बजे)
अवकाश: शनिवार, रविवार और केन्द्र सरकार की सभी छुट्टियाँ

बहुविकलांग लोगों के सुलभ उपयोग हेतु वेबसाइट तैयार करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (2011) और बहुविकलांग लोगों हेतु बाधारहित भवन बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (2012) प्राप्त संस्था ।

मानसिक मंदता

जब किसी व्यक्ति की मानसिक कार्य–प्रणाली और कौशलों जैसे सम्प्रेषण, स्वयं की देखभाल और सामाजिक कौशलों में कुछ अवरोध होते हैं तो उन्हें मानसिक मंद कहते है। मानसिक मंदता से ग्रस्त बच्चे बात करने, चलने, फिरने और अपनी निजी ज़रूरतों जैसे ड्रेस पहनना या भोजन करना सीखने में अपेक्षाकृत अधिक समय ले सकते हैं ।

मानसिक मंदता की विद्यमानता दर

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, 2002 के अनुसार भारत की कुल आबादी का 0.923% हिस्सा मानसिक मंदता से ग्रस्त है ।

मानसिक मंदता के कारण

प्रसव–पूर्व	प्रसव कालीन	प्रसव उपरांत
संक्रमण	समय–पूर्व जन्म	कुपोषण
मातृ स्वास्थ्य की समस्याएँ	आक्सीजन की कमी	संक्रमण
आनुवांशिक विसंगतियां	जन्म के समय मानसिक आघात से गुजरना	मिरगी
गर्भावस्था के दौरान दुर्घटनाएँ	नव–शैशवास्था में पीलिया होना	मस्तिष्क में चोट लगना

मानसिक मंदता की अभिलाक्षणिक विशेषताएँ

- गर्दन संभालने/बैठने/रेंगने/खड़े होने/चलने में विलम्ब करना
- भाषिक क्षमता के विकास में विलम्ब करना
- कमज़ोर याददाश्त
- सामाजिक नियमों को समझ पाने में कठिनाई होना
- समस्याओं के समाधान करने की कम योग्यता होना
- निर्णय लेने/तर्कसंगत रूप से सोचने की क्षमता कम होना
- अपने परिवेश के प्रति उदासीन होना और अनुक्रिया न दर्शाना
- पूरे मनोयोग से काम न कर पाना
- व्यवहारगत समस्याएँ
- नियमित कार्य करने में विलम्ब करना
- शैक्षिक उपलब्धियों में पिछड़ना
- अंधता, बहरापन, प्रमस्तिकीय पक्षाघात जैसी संबद्ध स्थिति से गुजरना ।

अगर बच्चे में एक या अधिक विशेषताएँ मौजूद हों तो तत्काल व्यावसायिकों सहायता लेनी चाहिए ।

मानसिक मंदता के लिए हस्तक्षेप

मानसिक मंदता एक ऐसी स्थिति होती है **जो किसी भी उपचार से ठीक नहीं की जा सकती है। लेकिन,** व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर अधिकतर **मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों को रोजमर्रा की ज़िन्दगी के कार्यकलापों को निष्पादित करने में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है और इस तरह, उनके जीवन** की गुणवत्ता बेहतर की जा सकती है ।

ऐसे कौशल जिन्हें मानसिक मंदता में और बेहतर किया जा सकता है ।

- निजी ज़रूरतें (ड्रेस पहनना, नहाना, शौच आदि से निवृत्त होना)
- दूसरे व्यक्तियों के साथ बातचीत करना
- स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
- घरेलू कार्यकलाप
- सामाजिक कौशल (आचरण, समूह के साथ चल पाना, कोई खेल खेलना)
- पढ़ना, लिखना और बुनियादी गणित ।

मानसिक मंदता के लिए हस्तक्षेप से जुड़े व्यावसायिक

NIEPMD में उपलब्ध सेवाएँ

- प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएँ
- प्रारंभिक बाल्यावस्था विशेष शिक्षा
- विशेष विद्यालय
- व्यावसायिक प्रशिक्षण
- चिकित्सीय प्रबंधन
- पुनर्वास मनोविज्ञान
- मेडिकल सेवाएँ

अधिक जानकारी के लिए देखें

www.nimhindia.org

www.nationltrust.org

www.disabilityindia.org/trustact

ऐसा संस्थान जो विविध निःशक्त व्यक्तियों की ज़रूरतें पूरी करता है

NIEPMD की स्थापना विविध निःशक्त व्यक्तियों (ऐसे व्यक्ति जो दो या अधिक निःशक्ताओं से ग्रस्त हैं) को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के तौर पर काम करने के उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु निःशक्त कार्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई है। यह ईस्ट कोस्ट रोड, मुत्तुक्काडु, कोवलम पोस्ट, चेन्नई, तमिलनाडू (चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल और एयरपोर्ट से करीब 30 कि.मी. की दूरी पर) पर स्थित है।

मानसिक मंदता

(Mental Retardation)

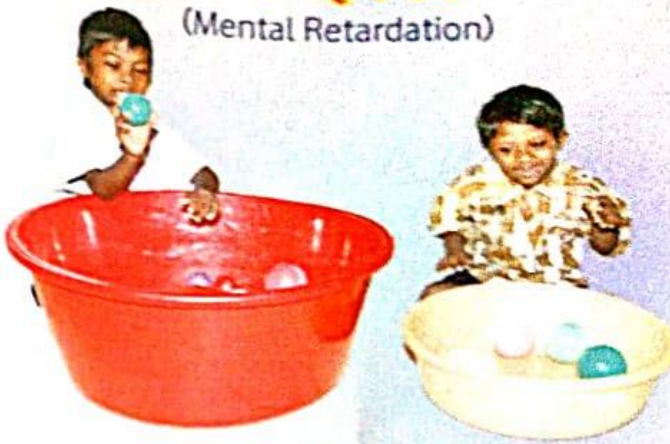

राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान

(निःशक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities

(Department of Disabilities Affairs, Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India)

ईस्ट कोस्ट रोड, मुत्तुकाडु, कोवलम (पोस्ट ऑफिस),
चेन्नई - 603112, तमिलनाडु
फोन: 044-27472113, 27472046
फैक्स: 044-27472389
वेबसाइट: www.niepmd.tn.nic.in ई-मेल: niepmd@gmail.com

कार्य अवधि : सोमवार से शुक्रवार
(सुबह 9.00 से शाम 5.30 बजे)
अवकाश: शनिवार, रविवार और केन्द्र सरकार की सभी छुट्टियाँ

बहुविकलांग लोगों के सुलभ उपयोग हेतु वेबसाइट तैयार करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (2011) और बहुविकलांग लोगों हेतु बाधारहित भवन बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (2012) प्राप्त संस्था।

मानसिक मंदता

जब किसी व्यक्ति की मानसिक कार्य–प्रणाली और कौशलों जैसे सम्प्रेषण, स्वयं की देखभाल और सामाजिक कौशलों में कुछ अवरोध होते हैं तो उन्हें मानसिक मंद कहते है। मानसिक मंदता से ग्रस्त बच्चे बात करने, चलने, फिरने और अपनी निजी ज़रूरतों जैसे ड्रेस पहनना या भोजन करना सीखने में अपेक्षाकृत अधिक समय ले सकते हैं ।

मानसिक मंदता की विद्यमानता दर

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, 2002 के अनुसार भारत की कुल आबादी का 0.923% हिस्सा मानसिक मंदता से ग्रस्त है ।

मानसिक मंदता के कारण

प्रसव–पूर्व	प्रसव कालीन	प्रसव उपरांत
संक्रमण	समय–पूर्व जन्म	कुपोषण
मातृ स्वास्थ्य की समस्याएँ	आक्सीजन की कमी	संक्रमण
आनुवांशिक विसंगतियां	जन्म के समय मानसिक आघात से गुजरना	मिरगी
गर्भावस्था के दौरान दुर्घटनाएँ	नव–शैशवास्था में पीलिया होना	मस्तिष्क में चोट लगना

मानसिक मंदता की अभिलाक्षणिक विशेषताएँ

- गर्दन संभालने/बैठने/रेंगने/खड़े होने/चलने में विलम्ब करना
- भाषिक क्षमता के विकास में विलम्ब करना
- कमज़ोर याददाश्त
- सामाजिक नियमों को समझ पाने में कठिनाई होना
- समस्याओं के समाधान करने की कम योग्यता होना
- निर्णय लेने/तर्कसंगत रूप से सोचने की क्षमता कम होना
- अपने परिवेश के प्रति उदासीन होना और अनुक्रिया न दर्शाना
- पूरे मनोयोग से काम न कर पाना
- व्यवहारगत समस्याएँ
- नियमित कार्य करने में विलम्ब करना
- शैक्षिक उपलब्धियों में पिछड़ना
- अंधता, बहरापन, प्रमस्तिकीय पक्षाघात जैसी संबद्ध स्थिति से गुजरना ।

अगर बच्चे में एक या अधिक विशेषताएँ मौजूद हों तो तत्काल व्यावसायिकों सहायता लेनी चाहिए ।

मानसिक मंदता के लिए हस्तक्षेप

मानसिक मंदता एक ऐसी स्थिति होती है **जो किसी भी उपचार से ठीक नहीं की जा सकती है। लेकिन,** व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर अधिकतर **मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों को रोजमर्रा की ज़िन्दगी के कार्यकलापों को निष्पादित करने में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है और इस तरह, उनके जीवन की गुणवत्ता बेहतर की जा सकती है ।**

ऐसे कौशल जिन्हें मानसिक मंदता में और बेहतर किया जा सकता है ।

- निजी ज़रूरतें (ड्रेस पहनना, नहाना, शौच आदि से निवृत्त होना)
- दूसरे व्यक्तियों के साथ बातचीत करना
- स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
- घरेलू कार्यकलाप
- सामाजिक कौशल (आचरण, समूह के साथ चल पाना, कोई खेल खेलना)
- पढ़ना, लिखना और बुनियादी गणित ।